रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20072024-255617
CG-MH-E-20072024-255617

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946
No. 534] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 11 जुलाई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/194.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (य) में, शब्दों तथा चिह्नों "और जिसमें अध्याय III-क के अधीन यथा परिभाषित एंजल निधि सम्मिलित होगी" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "और जिसमें अध्याय - III-क के तहत यथा परिभाषित एंजल निधि तथा अध्याय - III-घ के तहत यथा परिभाषित माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड) शामिल होगी" आ जाएँगे ।

II. विनियम 3 में, उप-विनियम (2) में,

i) दूसरे परंतुक में, शब्दों तथा चिह्नों "इन विनियमों के तहत पुन: रजिस्ट्रीकरण मांग सकेंगी, आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि में उनके विनिधान (निवेश) के मूल्य के अनुसार उनके दो-तिहाई विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के अनुमोदन के अध्यधीन" के स्थान पर, शब्द, चिह्न तथा अंक "इन विनियमों के तहत अध्याय - III-घ के अनुसार माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 के अधिसूचित होने की तारीख से बारह महीनों के भीतर, कर सकेंगी।" आ जाएँगे ।

ii) दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि बोर्ड उन जोखिम पूँजी निधियों से ज्यादा जानकारी देने को कह सकेगा और ऐसे अन्य कदम उठाने को कह सकेगा, जो अध्याय - III-घ के अनुसार माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन न करें ।"

III. अध्याय - III-ग के बाद, निम्नलिखित नया अध्याय जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"अध्याय - III-घ

परिभाषाएँ.

19फ. इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, इस अध्याय में जिन शब्दों आदि की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनका अर्थ तब तक निम्नानुसार ही रहेगा, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो, और उनके जैसे शब्दों तथा ऐसे जिन शब्दों के रूप कुछ बदल गए हों उनका अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,-

(1) "माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि" का अर्थ है – वह फंड (निधि), जो पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 के तहत एक जोखिम पूँजी निधि (वेंचर कैपिटल फंड) के रूप में रजिस्टर हुआ था, और जो बाद में इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार श्रेणी-I की आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) के तहत जोखिम पूँजी निधि की एक उप-श्रेणी के तौर पर इन विनियमों के तहत रजिस्टर हो जाए।

(2) "निवेशयोग्य निधियों" (इन्वेस्टेबल फंड्स) का अर्थ है - माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की स्कीम का कॉर्पस, जिसमें से फंड के प्रबंधन आदि से संबंधित खर्चों को घटा दिया जाए ।

लागू होना

19ब. (1) इस अध्याय के प्रावधान केवल माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधियों और ऐसी माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधियों द्वारा लाई जाने वाली स्कीमों के मामले में ही लागू होंगे।

(2) जब तक इन विनियमों के अन्य सभी प्रावधानों का संदर्भ कुछ और न हो, तब तक वे माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि, यथास्थिति, उसके न्यासी (ट्रस्टी), उसकी न्यासी कंपनी, उसकी न्यासी कंपनी के निदेशकों, माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के निदेशकों, प्रायोजक (यदि कोई हो), प्रबंधक (यदि कोई हो), और निवेशकों

पर लागू होंगे, लेकिन अन्य प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान और इन विनियमों के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश तथा परिपत्र (सर्कुलर) शामिल नहीं हैं:

(i) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (त) और (ब);

(ii) विनियम 3 का उप-विनियम (5);

(iii) विनियम 4;

(iv) विनियम 6 के उप-विनियम (2), (4) और (5);

(v) विनियम 7 का उप-विनियम (2);

(vi) विनियम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

(vii) विनियम 20 के उप-विनियम (11), (11क), (15), (17), (18) और (19);

(viii) विनियम 23 के उप-विनियम (2), (3), (4) और (5); और

(ix) विनियम 27 का उप-विनियम (2) ।

प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की प्रक्रिया

19भ. (1) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन बोर्ड के पास उसी प्रकार किया जाएगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए ।

(2) श्रेणी-I की आनुकल्पिक निवेश निधि (ए.आई.एफ.) - जोखिम पूँजी निधि (माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि) के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र बोर्ड द्वारा तभी प्रदान किया जाएगा, जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि आवेदक इन विनियमों के तहत इस अध्याय में दी हुई सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है ।

पात्रता मानदंड

19म. इस अध्याय के तहत प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के उद्देश्य से, बोर्ड पात्रता हेतु निम्नलिखित शर्तों पर गौर करेगा, अर्थात्,–

(क) आवदेक के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 के तहत जोखिम पूँजी निधि के रूप में कार्य करने का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हो;

(ख) आवेदक एक 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' हो;

(ग) आवेदक ने बोर्ड द्वारा समय-समय पर माँगी गई जानकारी प्रस्तुत कर दी हो;

(घ) इस अध्याय के लागू होने की तारीख को आवेदक के पास किसी निवेशक की ऐसी कोई शिकायत लंबित न हो, जो उसकी ऐसी किसी स्कीम के मामले में पैसा (फंड) या प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) न मिलने से संबंधित हों, जिसके असेट (आस्तियों) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 के विनियम 24 के उप-विनियम (2) के अनुसार बेचा न गया हो (लिक्विडेट / परिसमाप्त न किया गया हो);

(ङ) आवेदक द्वारा लाई गई किसी भी स्कीम में एक निवेशक ने कम से कम पाँच लाख रुपये की रकम का निवेश किया हो:

परंतु यह कि खंड (ङ) में दी हुई कोई भी बात उन निवेशकों पर लागू नहीं होगी, जो जोखिम पूँजी निधि के कर्मचारी या मुख्य अधिकारी या निदेशक हों अथवा न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी के निदेशक हों या

न्यासी हों [जहाँ जोखिम पूँजी निधि का गठन एक न्यास (ट्रस्ट) के रूप में हुआ हो] अथवा माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के प्रबंधक या उसकी आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) के कर्मचारी हों;

(च) आवेदक द्वारा लाई गई प्रत्येक स्कीम के मामले में निवेशकों ने यह पक्का वचन दिया हो कि वे आवेदक द्वारा कामकाज शुरू किए जाने से पहले कम से कम पाँच करोड़ रुपये लगाएंगे ।

जनता को पैसा लगाने (अभिदान / सब्स्क्रिप्शन करने) की पेशकश करने पर रोक

19य. माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि ऐसा कोई भी दस्तावेज या विज्ञापन जारी नहीं करेगी, जिसमें उसकी किन्हीं यूनिटों में पैसा लगाने (अभिदान / सब्स्क्रिप्शन करने) या उन्हें खरीदने की पेशकश जनता को की जाए।

प्राइवेट प्लेसमेंट

19कक. माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि निवेश के लिए पैसा केवल अपनी यूनिटें प्राइवेट प्लेसमेंट (निजी स्थानन) के जरिए जारी करके ही जुटा सकेगी ।

प्लेसमेंट मैमोरेंडम या सब्स्क्रिप्शन एग्रीमेंट

19कख. (1) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि —

(क) एक प्लेसमेंट मैमोरेंडम जारी करेगी, जिसमें उन शर्तों आदि का ब्यौरा दिया जाएगा जिनके तहत निवेशकों से पैसा जुटाए जाने का प्रस्ताव हो; या

(ख) निवेशकों के साथ कंट्रीब्यूशन या सब्स्क्रिप्शन एग्रीमेंट करेगी, जिसमें वे शर्तें आदि निर्धारित की जाएँगी जिनके तहत पैसा जुटाए जाने का प्रस्ताव हो ।

(2) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि बोर्ड के पास जानकारी के लिए प्लेसमेंट मैमोरेंडम की एक प्रति या निवेशकों के साथ किए गए कंट्रीब्यूशन या सब्स्क्रिप्शन एग्रीमेंट की एक प्रति प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ यह रिपोर्ट भी लगाई जाएगी कि निवेशकों से वास्तव में कितना पैसा जुटाया गया ।

प्लेसमेंट मैमोरेंडम में दी जाने वाली जानकारी

19कग. प्लेसमेंट मैमोरेंडम या निवशकों के साथ किए जाने वाले सब्स्क्रिप्शन एग्रीमेंट में निम्नलिखित जानकारी दी जाएगी, अर्थात् –

(क) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के न्यासियों (ट्रस्टी) या उसकी न्यासी (ट्रस्टी) कंपनी और उसके निदेशकों या चीफ एग्ज़िक्यूटिव्ज़ (मुख्य कार्यपालकों) के ब्यौरे;

(ख) फंड का कॉर्पस कितना है, फंड के लिए कम से कम कितना पैसा जुटाना है, प्रत्येक स्कीम के लिए कम से कम कितना पैसा जुटाना है और न्यूनतम रकम प्राप्त न होने की दशा में निवेशकों को पैसा लौटाए जाने का क्या प्रावधान है;

(ग) जोखिम पूँजी निधि की जिन यूनिटों में पैसा लगाने (अभिदान / सब्स्क्रिप्शन करने) की पेशकश की जा रही हो, उन पर यूनिटधारकों को क्या-क्या हक मिलेंगे;

(घ) निवेशकों पर कितना कर लग सकता है, इसकी जानकारी;

(ङ) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की यूनिटों में पैसा कैसे लगाया जा सकता है;

(च) फंड की मीयाद पूरी होने (परिपक्वता / मैच्यूरिटी) की अवधि, यदि कोई हो;

(छ) फंड को बंद (वाइंड-अप) कैसे किया जाएगा;

(ज) न्यास (ट्रस्ट) की यूनिटों में निवेश करने वाले निवेशकों को मिलने वाले फायदों की रकम उन्हें कैसे बाँटी जाएगी;

(झ) निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) या आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी), यदि कोई हो, के ब्यौरे, और ऐसे प्रबंधक को अदा की जाने वाली फीस के ब्यौरे;

(ञ) यदि निधि प्रबंधक ने किसी फंड का प्रबंधन किया हो, तो उसका प्रदर्शन कैसा रहा इसके ब्यौरे;

(ट) फंड की निवेश नीति (निवेश युक्ति); और

(ठ) बोर्ड द्वारा मांगी जाने वाली कोई और जानकारी।

माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि द्वारा निवेश

19कघ. (1) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि निम्नलिखित शर्तों के तहत निवेश करेगी:–

(क) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि द्वारा किसी एक जोखिम पूँजी उपक्रम (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) में किए जाने वाले निवेश की रकम, फंड के कॉर्पस की 25% से अधिक नहीं होगी;

(ख) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि भारत के बाहर बनी कंपनियों की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश कर सकेगी, लेकिन ऐसा करते समय उन शर्तों या दिशानिर्देशों का पालन करना होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ या जारी किए जाएँ;

(ग) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि सहयोगी (असोसिएट) कंपनियों में निवेश नहीं करेगी; और

(घ) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि निम्नानुसार निवेश करेगी:

(i) निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड्स) के कम से कम 66.67% हिस्से का निवेश जोखिम पूँजी उपक्रम (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) के असूचीगत (अनलिस्टिड) इक्विटी शेयरों या इक्विटी संबद्ध लिखतों (इक्विटी लिंक्ड इन्स्ट्रूमेंट) में किया जाएगा;

(ii) निवेश योग्य निधियों के अधिकतम 33.33% हिस्से का निवेश:

(क) ऐसे किसी जोखिम पूँजी उपक्रम के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) में पैसा लगाकर (सब्स्क्राइब करके) किया जा सकेगा, जिसके शेयरों को सूचीबद्ध (लिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो;

(ख) ऐसे किसी जोखिम पूँजी उपक्रम के ऋण (डैट) या ऋण लिखत (डैट इन्स्ट्रूमेंट) में निवेश करके किया जा सकेगा, जिसकी इक्विटी में जोखिम पूँजी निधि ने पहले ही निवेश किया हुआ हो;

(ग) किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट (अधिमानी आबंटन) के जरिए निवेश करके किया जा सकेगा, लेकिन यह निवेश एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेगा;

(घ) ऐसी किसी आर्थिक रूप से कमजोर कंपनी या बीमारू औद्योगिक कंपनी (सिक इंडस्ट्रियल कंपनी) के इक्विटी शेयरों या इक्विटी संबद्ध लिखतों (इक्विटी लिंक्ड इन्स्ट्रूमेंट्स) में निवेश करके किया जा सकेगा, जिसके शेयर सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।

स्पष्टीकरण.— इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, आर्थिक रूप से कमजोर कंपनी का अर्थ है – वह कंपनी, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कुल-मिलाकर इतना नुकसान हुआ हो कि उसकी वजह से पिछले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में उसकी जो शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) थी उसमें 50% से ज्यादा किंतु 100% से कम की गिरावट आ गई हो;

(ङ) उन स्पेशल पर्पज़ वीहिकल (विशेष प्रयोजन माध्यमों) में निवेश करके किया जा सकेगा, जो जोखिम पूँजी निधि द्वारा इन विनियमों के अनुसार निवेश को सुविधाजनक बनाने या निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हों ।

स्पष्टीकरण.— जोखिम पूँजी निधि अपनी अवधि पूरी होने (जीवन चक्र पूरा होने) से पहले निवेश के संबंध में दी हुई उन शर्तों और पाबंदियों पर अमल कर लेगी, जिनका जिक्र उप-विनियम (1) के खंड (घ) में किया गया है ।

(2) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के अध्याय-IX के अनुसार, निर्गम (इश्यू) के जितने हिस्से में पैसा न लगाया गया हो (जितना हिस्सा अनसब्स्क्राइब्ड रह गया हो) उतने हिस्से में पैसा लगाने के लिए अथवा बाजार-निर्माण (मार्केट मेकिंग) की प्रक्रिया में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) प्राप्त करने या उनकी डिलीवरी के संबंध में मर्चेंट बैंकर के साथ एक करार (एग्रीमेंट) कर सकेगी, और इस प्रकार पैसा लगाए जाने या बाजार-निर्माण (मार्केट मर्किंग) के अनुसरण में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) खरीदे (अर्जित किए) जाने या बेचे जाने के मामले में उप-विनियम (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

(3) उप-विनियम (1) और (2) में दी हुई शर्तों के होते हुए भी, बोर्ड माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधियों द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में कुछ और अपेक्षाएँ या मानदंड भी निर्धारित कर सकेगा ।

स्कीमें

19कङ. माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि कोई नई स्कीम नहीं लाएगी ।

अवधि

19कच. (1) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की अवधि की गणना उसी तरह की जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए ।

(2) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की अवधि दो वर्षों तक बढ़ाने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि दो-तिहाई यूनिटधारक (माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि में उनके द्वारा किए गए निवेश के मूल्य के अनुसार) इसकी मंजूरी दे दें ।

(3) उप-विनियम (2) के अनुसार यूनिटधारकों की सहमति न मिलने पर या बढ़ाई गई अवधि समाप्त हो जाने पर, माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि को या माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की स्कीम को इन विनियमों के विनियम 29 के अनुसार बंद (परिसमाप्त / वाइंड-अप) कर दिया जाएगा:

परंतु यह कि विनियम 29 का उप-विनियम (9क) माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि या माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की स्कीम पर लागू नहीं होगा ।

(4) यदि इस अध्याय के तहत रजिस्टर होने के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले, जोखिम पूँजी निधि [जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 के तहत रजिस्टर हो] की किसी स्कीम की असेट (आस्तियों) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 के विनियम 24 के उप-विनियम (2) के अनुसार उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद बेचा न

गया हो (का लिक्विडेशन न किया गया हो), और जोखिम पूँजी निधि को इन विनियमों के तहत माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर दिया गया हो, तो ऐसे में माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि की उन स्कीमों के मामले में लिक्विडेशन की अतिरिक्त अवधि उसी प्रकार तथा उन शर्तों के तहत प्रदान की जा सकेगी जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 19भ के तहत माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने और इस विनियम के उप-विनियम (4) के तहत लिक्विडेशन की अतिरिक्त अवधि प्रदान किए जाने के बावजूद भी, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के प्रावधानों के अनुसार कोई निदेश भी जारी किया जा सकेगा या फिर कोई कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

सूचीबद्धता (लिस्टिंग)

19कछ. कोई भी माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि, उसके द्वारा यूनिटें जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक, अपनी यूनिटें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) नहीं करा सकेगी ।

रिकॉर्ड रखना

19कज. माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि अपने रिकॉर्ड, इन विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (1) अनुसार, फंड को बंद (वाइंड-अप) किए जाने की तारीख से आठ वर्षों की अवधि तक संभालकर रखेगी ।"

IV. विनियम 39 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) में, मौजूदा परंतुक के बाद निम्नलिखित नए परंतुक जोड़े जाएँगे, अर्थात्,–

"परंतु यह और कि जो जोखिम पूँजी निधियाँ अध्याय - III-घ के अनुसार माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन करती हैं, उन पर ये विनियम उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख से उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए:

परंतु यह और कि बोर्ड उन जोखिम पूँजी निधियों से ज्यादा जानकारी देने को कह सकेगा और ऐसे अन्य कदम उठाने को कह सकेगा, जो अध्याय - III-घ के अनुसार माइग्रेटेड जोखिम पूँजी निधि के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन न करें ।"

V. दूसरी अनुसूची में,

i) शब्द, अंकों तथा चिह्नों "विनियम 3(2), 3(5), 6(2) और 12(2) देखें" के स्थान पर शब्द, अंक तथा चिह्न "विनियम 3 का उप-विनियम (5), विनियम 6 का उप-विनियम (2) और विनियम 12 का उप-विनियम (2) देखें" आ जाएँगे ।

ii) भाग-क में, शब्द "पुन: रजिस्ट्रीकरण फीस" और शब्दों "पुन: रजिस्ट्रीकरण फीस" के सामने लिखे हुए चिह्न तथा अंक "₹1,00,000" हट जाएँगे ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./310/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-

(क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा

(ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा

(घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

(ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा

(च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

(छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा

(ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा

(ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा

(ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

(ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा

(ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा

(त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/57, द्वारा

(थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा

(द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा

(ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा

(न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा

(प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा

(फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा

(ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा

(म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

(कक) 5 जनवरी, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163, द्वारा

(खख) 25 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/168, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/194.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –

I. In regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (z), after the words and symbols "an angel fund as defined under Chapter III-A", the words "and migrated venture capital fund as defined under Chapter III-D" shall be inserted.

II. In regulation 3, in sub-regulation (2),

i) in the second proviso, the words and symbols "re-registration under these regulations subject to approval of two-thirds of their investors by value of their investment" shall be substituted with the words and symbols "registration under these regulations as migrated venture capital funds in terms of Chapter III-D, within twelve months from the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024".

ii) after the second proviso, the following new proviso shall be inserted, namely, –

"Provided further that the Board may specify enhanced regulatory reporting and other measures for the venture capital funds that do not seek registration as a migrated venture capital fund in terms of Chapter III-D."

III. After Chapter III-C, the following new chapter shall be inserted, namely, -

"CHAPTER III-D

Definitions.

19V. For the purpose of this Chapter, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly,-

(1) "migrated venture capital fund" means a fund that was previously registered as a venture capital fund under the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations, 1996 and subsequently registered under these regulations as a sub-category of Venture Capital Fund under Category I - Alternative Investment Fund in accordance with the provisions of this Chapter.

(2) "investable funds" means corpus of the scheme of the migrated venture capital fund net of expenditure for administration and management of the fund.

Applicability.

19W. (1) The provisions of this Chapter shall apply only to migrated venture capital funds and schemes launched by such migrated venture capital funds.

(2) All other provisions of these regulations, except the following provisions and the guidelines and circulars issued under these regulations, unless the context otherwise requires or is repugnant to the provisions of this Chapter, shall apply to the migrated venture capital fund, its trustee, trustee company, directors of the trustee company, directors of the migrated venture capital fund, as the case may be, sponsor, if any, Manager, if any, and investors:

(i) clause (p), (w), of sub-regulation (1) of regulation 2;

(ii) sub-regulation (5) of regulation 3;

(iii) regulation 4;

(iv) sub-regulation (2), (4) and (5) of regulation 6;

(v) sub-regulation (2) of regulation 7;

(vi) regulations 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

(vii) sub-regulation (11), (11A), (15) (17), (18) and (19) of regulation 20;

(viii) sub-regulations (2), (3), (4) and (5) of regulation 23; and

(ix) sub-regulation (2) of regulation 27.

Procedure for grant of Certificate.

19X. (1) An application for seeking registration as a migrated venture capital fund shall be made to the Board in the manner specified by Board.

(2) The certificate of registration as a Category I Alternative Investment Fund – Venture Capital Fund (Migrated Venture Capital Fund) shall be granted by the Board, if it is satisfied that the applicant fulfills all the requirements as specified in this Chapter under these regulations.

Eligibility Criteria.

19Y. For the purpose of the grant of certificate under this Chapter, the Board shall consider the following eligibility conditions, namely, —

(a) the applicant has a certificate of registration as a Venture Capital Fund under Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations, 1996;

(b) the applicant is a fit and proper person;

(c) the applicant has furnished the required information as specified by the Board from time to time;

(d) the applicant has no pending investor complaint with regard to non-receipt of funds or securities for any of its schemes whose assets are not liquidated in terms of sub-regulation (2) of regulation 24 of Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations 1996, on the date of application under this Chapter;

(e) no scheme launched by the applicant has investment from an investor which is less than five lakh rupees:

Provided that nothing contained in clause (e) shall apply to investors who are employees or the principal officer or directors of the venture capital fund or directors of the trustee company or trustees where the venture capital fund has been established as a trust or the employees of the manager or asset management company of the migrated venture capital fund;

(f) each scheme launched by the applicant has a firm commitment from the investors for contribution of an amount not below rupees five crores before the start of operations by the applicant.

Prohibition on inviting subscription from the public.

19Z. Migrated venture capital fund shall not issue a document or an advertisement inviting offers from the public for the subscription or purchase of any of its units.

Private placement.

19AA. A migrated venture capital fund may receive monies for investment in the migrated venture capital fund only through private placement of its units.

Placement memorandum or subscription agreement.

19AB. (1) The migrated venture capital fund shall—

(a) issue a placement memorandum which shall contain details of the terms and conditions subject to which monies are proposed to be raised from investors; or

(b) enter into a contribution or subscription agreement with the investors which shall specify the terms and conditions subject to which monies are proposed to be raised.

(2) The migrated venture capital fund shall file with the Board for information, the copy of the placement memorandum or the copy of the contribution or subscription agreement entered into with the investors along with a report of money actually collected from the investor.

Contents of Placement Memorandum.

19AC. The placement memorandum or the subscription agreement with investors shall contain the following, namely –

(a) details of the trustees or trustee company and the directors or chief executives of the migrated venture capital fund;

(b) the corpus of the fund, the minimum amount to be raised for the fund to be operational, the minimum amount to be raised for each scheme and the provision for refund of monies to the investor in the event of non-receipt of minimum amount;

(c) details of entitlements on the units of venture capital fund for which subscription is being sought;

(d) tax implications that are likely to apply to investors;

(e) manner of subscription to the units of the migrated venture capital fund;

(f) the period of maturity, if any, of the fund;

(g) the manner, if any, in which the fund shall be wound up;

(h) the manner in which the benefits accruing to investors in the units of the trust are to be distributed;

(i) details of the fund manager or asset management company, if any, and the fees to be paid to such manager;

(j) the details about performance of the fund, if any, managed by the Fund Manager;

(k) investment strategy of the fund; and

(l) any other information specified by the Board.

Investment by migrated venture capital fund.

19AD. (1) Investments by migrated venture capital fund shall be subject to the following conditions:—

(a) the migrated venture capital fund shall not invest more than 25% corpus of the fund in a single venture capital undertaking;

(b) the migrated venture capital fund may invest in the securities of companies incorporated outside India subject to such conditions or guidelines that may be stipulated or issued by the Reserve Bank of India and the Board from time to time;

(c) The migrated venture capital fund shall not invest in the associated companies; and

(d) the migrated venture capital fund shall invest as enumerated below:

    (i) at least 66.67% of the investable funds shall be invested in unlisted equity shares or equity linked instruments of venture capital undertaking;

    (ii) not more than 33.33% of the investable funds may be invested by way of:

        (a) subscription to the initial public offer of a venture capital undertaking whose shares are proposed to be listed;

        (b) investment in the debt or debt instrument of a venture capital undertaking in which the venture capital fund has already made an investment by way of equity;

        (c) preferential allotment of equity shares of a listed company subject to a lock in period of one year;

        (d) investment in the equity shares or equity linked instruments of a financially weak company or a sick industrial company whose shares are listed.

Explanation. — For the purpose of these regulations, a "financially weak company" means a company, which has at the end of the previous financial year,

accumulated losses, which has resulted in the erosion of more than 50% but less than 100% of its net worth at the beginning of the previous financial year;

(e) investment in the Special Purpose Vehicles that are created by a venture capital fund for the purpose of facilitating or promoting investment in accordance with these regulations.

Explanation. — The investment conditions and restrictions stipulated in clause (d) of sub-regulation (1) shall be achieved by the venture capital fund by the end of its life cycle.

(2) The migrated venture capital fund may enter into an agreement with the merchant banker to subscribe to the unsubscribed portion of the issue or to receive or deliver securities in the process of market making under Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and the provisions of sub-regulation (1) shall not apply in case of acquisition or sale of securities pursuant to such subscription or market making.

(3) Notwithstanding the conditions as specified in sub-regulations (1) and (2), the Board may specify additional requirements or criteria for investments by the migrated venture capital funds.

Schemes.

19AE. A migrated venture capital fund shall not launch any new scheme.

Tenure.

19AF. (1) The tenure of a migrated venture capital fund shall be calculated in the manner as may be specified by the Board.

(2) Extension of the tenure of a migrated venture capital fund may be permitted up to two years subject to the approval of two-thirds of the unit holders by value of their investment in the migrated venture capital fund.

(3) In the absence of consent of the unit holders under sub-regulation (2) or upon expiry of the extended tenure, the migrated venture capital fund or the scheme of the migrated venture capital fund shall be wound up in accordance with Regulation 29 of these regulations:

Provided that sub-regulation (9A) of regulation 29 shall not be applicable to a migrated venture capital fund or the scheme of the migrated venture capital fund.

(4) If the assets of a scheme of a venture capital fund registered under the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Regulations) 1996, are not liquidated after the expiry of its tenure in terms of sub-regulation (2) of regulation 24 of Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Regulations), 1996 prior to the date of application for registration under this Chapter, and the venture capital fund has been granted registration as a migrated venture capital fund under these regulations, then such schemes of the migrated venture capital fund may be granted additional liquidation period, subject to conditions and in the manner as may be specified by the Board:

Provided that the registration as migrated venture capital fund granted under regulation 19X of these regulations and the additional liquidation period granted under sub-regulation (4) of this regulation shall be without prejudice to the issuance of any direction or measures in accordance with the provision of the Act and regulations framed thereunder.

Listing.

19AG. No migrated venture capital fund shall be entitled to get its units listed on any recognised stock exchange till the expiry of three years from the date of the issuance of units by the migrated venture capital fund.

Maintenance of Records.

19AH. The migrated venture capital fund shall maintain its records under sub-regulation (1) of regulation 27 of these regulations for a period of eight years after the winding up of the fund."

IV. In regulation 39, in sub-regulation (2), in clause (b), the following new provisos shall be inserted after the existing proviso, namely, –

"Provided further that the venture capital funds that seeks registration as a migrated venture capital fund in terms of Chapter III-D shall be governed by these regulations from the date of grant of certificate of registration:

Provided further that the Board may specify enhanced regulatory reporting and other measures for the venture capital funds that do not seek registration as a migrated venture capital fund in terms of Chapter III-D."

V. In the Second Schedule,

i) the words and symbols "sub-regulations (2) and (5) of regulation 3" shall be substituted with the words and symbols "sub-regulation (5) of regulation 3".

ii) in Part A, the words and symbols "Re-registration Fee: ₹ 1,00,000" shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./310/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –

(a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.

(b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.

(d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.

(e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.

(f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.

(g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.

(h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.

(i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.

(k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.

(l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.

(m) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.

(o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.

(p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.

(q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.

(r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.

(s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.

(t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.

(u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.

(v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.

(w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.

(y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.

(z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

(aa) 5th January 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.

(bb) 25th April 2024, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/168.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.07.20 17:13:17 +05'30'